{ WORTH-REPORTABLE }

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 6933 / 2011 / उदयपुर

1. उदयलाल पिता कमजी गमेती, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. टेकाराम पिता कमजी गमेती, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती गमेरी बाई पुत्री कमजी गमेती, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4.

—— अपीलार्थीगण।

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

—— प्रत्यर्थी

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :—
(1) श्री एस.एल. बोहरा, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
(2) श्री अभिषेक कौशिक, उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांक : 03 दिसम्बर, 2012

यह द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा मुकदमा संख्या 38 / 2011 में पारित निर्णय दिनांक 09—9—2011 के विरूद्ध पेश की गई है।

2— अपील के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डाकनकोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा नं0 1326 रकबा ढ़ाई बीघा अपीलार्थीगण के पिता कमजी पिता पेमाजी गमेती को आवंटित हुई, जिसका इन्द्राज संवत् 2029 से 2032 की जमाबंदी में

हुआ। उक्त खसरा नं0 1326 के नये खसरा नं0 2308 मिन रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नं0 2309 मिन रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नं0 2310 मिन रकबा 0.2250 हैक्टेयरव खसरा नं0 2312 रकबा 0.0750 हेक्टेयर कुल किता–4 कुल रकबा 5400 हैक्टेयर, जिसे वादग्रस्त आराजी कहा जायेगा, बने। भू प्रबंध विभाग ने भू प्रबंध कार्यवाही के बाद जो रिकार्ड तैयार यिा, उसमें उक्त आराजी कमजी पिता पेमाजी के नाम दोहरानी थी, जो नहीं दोहरा कर उक्त रकबा बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया। भू प्रबंध विभाग को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है। संवत् 2042 की जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी बिलानाम सरकार दर्ज करना कानूनन एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से यह अंकन शून्य है। अपीलार्थीगण ने भू प्रबां विभाग द्वारा की गई इस त्रुटि को सुधारने हेतु धारा 136, अधिनियम, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र विद्वान् उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष पेश किया। विद्वान् उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा ने बाद उचित विवेचन, प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25–2–2011 को खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष पेश की, जिसे दिनांक 09–9–2011 को हस्तगत निर्णय से खारिज कर दी। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने बाबत यह अपील पेश की गई है।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए विद्वान् अभिभाषक अपीलार्थीगण ने कथन किया कि अपीलार्थीगण के पिता कमजी के नाम वादग्रस्त आराजी संवत् 2029 से 2032 की जमाबंदी में दर्ज थी। फिर सेटलमेंट आ गया। सेटलमेंट संवत् 2041 के आस–पास पूर्ण हुआ एवं संवत् 2042 की नई जमाबंदी बनी। इस बीच यानी 2032 से 2042 तक कोई जमाबंदी नहीं बनी। कमजी रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज था एवं उनके जीवनकाल में कब्जा कमजी का था, फिर उनकी मृत्यु उपरान्त कब्जा अपीलार्थीगण का हो गया, यह तथ्य पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा दिनांक 09–8–2010 की रिपोर्ट से भी साबित होता है। विद्वान् अभिभाषक का तर्क है कि विचारण न्यायालय का यह अभिमत कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा नहीं रहा एवं बतौर गैर खातेदार ही अंकन होने से धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है, यह विधिनुरूप नहीं है। धारा 136 में वह अंकन दुरूस्त योग्य है जो सेटलमेंट ने अपनी कार्यवाही में सेटलमेंट से पूर्व के इन्द्राजात को दोहराया नहीं। वे इन्द्राज जैसे भी है, उन्हें विलोपित करने या संशोधित

करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। सेटलमेंट विभाग वही इन्द्राज बदल सकता है, जिसमें सक्षम स्तर पर भूमि के हस्तान्तरण या विरासत की कार्यवाही का आदेश हो या सक्षम न्यायालय ने नये इन्द्राज करने का आदेश दिया हो। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण के पिता कमजी का नाम जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज था, उसे नये रिकार्ड में अंकित करना चाहिए था, उसनाम को हटाने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं था। इन तथ्यों की अनदेखी कर विद्वान् उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थीगण का धारा 136 का प्रार्थना पत्र गलत आधार पर एवं तथ्यों के विपरीत खारिज किया है, जिसे दुरूस्त किया जावें एवं आदेश खारिज कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

5— विद्वान् अभिभाषक अपीलार्थीगण का यह भी कथन है कि विद्वान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने उनकी अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि अपीलार्थीगण कमजी के वारिस हैं एवं कमजी की मृत्यु हो गई है, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह अभिमत तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि नायब तहसीलदार, गिर्वा ने विचारण न्यायालय द्वरा चाही गई मौका रिपोर्ट आदेश दिनांक 13—7—2010 की पालना में भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 07—10—2010 में वादग्रस्त आराजी पर कमजी के वारिसान अपीलार्थीगण का कब्जा होना बताया है, इस तथ्य को नहीं देखा गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों एवं कानून को देखे बिना तथा बिना न्यायिक विवेक इस्तेमाल किये निर्णय पारित किया, उसे निरस्त फरमाया जावे।

6— इन तथ्यों के अलावा न्यायालय हाजा में कमजी की मृत्यु का प्रमाण पत्र व अपीलार्थीगण का वारिस होने के संबंध में राशन कार्ड की प्रतियां पेश की जा रही है। अपने कथन के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा उर्मिला देवी बनाम स्टेट में जारी धारा 136 के संबंध में दिशा निर्देशों की प्रति, 1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8 (उच्च न्यायालय), 2003 आर.बी.जे. 118, 2002 आर.बी. जे. 332, 234, 2012 (2) आर.बी.जे. पृष्ठ 814 (उच्च न्यायालय), 1997 आर.आर.डी. पृष्ठ 814 (उच्च न्यायालय) के न्यायिक दृष्टांतों को संदर्भित करते हुए प्रतियां प्रस्तुत की।

7— बहस का जवाब देते हुए विद्वान् उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि नामान्तरकरण संख्या 690 दिनांक 13—12—1978 के अवलोकन से 2.10 बीघा आराजी का कमजी के नाम आवंटन से अंकन है, परन्तु यह अंकन गैर खातेदारी का है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की, इसलिए यह प्रविष्टि हट गई, जिसे धारा 136 के आधार पर

दुरूस्त नहीं किया जा सकता, इस आधार पर विद्वान् उपखण्ड अधिकारी का आदेश उचित एवं न्याय संगत है। अपीलार्थीगण ने कमजी की मृत्यु होना एवं उनके वारिसान होने का प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष उचित एवं तथ्यात्मक तौर पर सही है, जिसे बहाल रखा जावें।

8— हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रस्तुत नजीरों एवं कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया।

9— यह निर्विवादित तथ्य है कि ग्राम डाकन कोटड़ा, तहसील गिरवा की जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में खसरा नं0 1326 मिन रकबा 85.12 बीघा में से नामान्तरकरण संख्या 690 से रकबा 2.10 बीघा का अंकन कमजी पिता पेमाजी गमेती के नाम है। नामान्तरकरण संख्या 690 में भी कमजी पिता पेमाजी गमेती को आवंटन कमेटी दिनांक 31—12—1978 के आदेश द्वारा गैर खातेदारी दर्ज करने की मंजूरी का अंकन तथा यह नामान्तरकरण तहसीलदार, गिर्वा द्वारा दिनांक 24—1—1979 को स्वीकृत किया गया। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि जिले में भू प्रबंध कार्यवाही के बाद नयी जमाबंदी संवत् 2042 में बनी। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल विवरण के अनुसार अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त में रही आराजी खसरा नं0 2308 से 2013 पूर्व खसरा नं0 1326 मिन से बने है। संवत् 2064 से 2067 की जमाबंदी मुताबिक खसरा नं0 2308 मिन, 2309 मिन, 2311 मिन, 2312 काबिल काश्त, काश्त मगरी के नाम से राज्य सरकार के खाते में दर्ज है।

10— विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13—7—2010 को वादग्रस्त आराजी की मौके की चाही गई रिपोर्ट, जो नायब तहसीलदार, गिर्वा द्वारा दिनांक 07—10—2010 को भेजी गई है, का उल्लेख एवं उद्धरण इस प्रकार है :—

"राजस्व ग्रुप डाकन कोटडा की साबिक आ.नं. 1326 मिन के हाल आ.नं0 2308 मिन, 2309 मिन, 2311 मिन, 2312 किता 4 रकबा 0.5350 हैक्टेयर भूमि पर आवंटी श्री कमजी पि0 पेमा के वारिसान श्री उदयलाल, टेकाराम गमेरीबाई पिता कमजी का बहैसियत वारिस कब्जा है। वर्तमान में आ. नं. 2308 में से 0.0200 एयर पर तथा आ. नं. 2311 मिन में से 0.0100 एयर पर मक्का काश्त की है। शेष रकबा पडत है। कब्जे की भूमि पर थूअर/कोट लगाकर काबिज है। शेष भूमि सड़क की ओर छूटी हुई पट्टी है।"

11— उक्त दस्तावेजों एवं तथ्यों से यह साबित होता है कि कमजी पिता पेमा गमेती को साबिक खसरा नं0 1326 मिन में से 2.10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिसका अंकन जमाबंदी में विधिवत तौर पर आया। भू प्रबंध के बाद 2316 मिन के नये नम्बर बने, उसमें खसरा नं0 2308 मिन, 2309 मिन, 2311 मिन व 2312 बने, जिनका रकाब 0.5400 हैक्टेयर है। कमजी की मृत्यु उपरान्त यह आराजी प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में रही। भू प्रबंध कार्यवाही पश्चात् यह रकबा काबिल काश्त राज्य सरकार के नाम अंकित हो गया।

12— राजस्व (ग्रुप—6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज 16/92/26 दिनांक 20—12—1995, जो मूलतः धारा 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 से जुड़ा है, व समस्त संभागीय आयुक्तगण एवं जिला कलक्टर्स को संबोधित है, को यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है :—

"विषयः राजस्थान भू राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 में हितार्थ उद्देश्य।

प्रेषित :
समस्त संभागीय आयुक्तगण।
समस्त जिला कलेक्टर्स।

राजस्थान भू राजस्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1955 (सुविधा हेतु जिनको संलग्न की जा रही है) दिनांक 22.11.95 से लागू हो गया है।

भू प्रबंध के दौरान भू प्रबंध कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा धारा 123 व 125 की आड में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवाय चक/चारागाह या इसके विपरीत सिवाय चक चारागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनियमितताएं हुई है, जिनसे अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढ़ी है आरै कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद भी निर्णित कर दिये जाते थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इस संशोधन के द्वारा धारा 122 को संशोधित किया गया, धारा 123 व 125 को विलोपित किया गया औरा धारा 136 को प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन के पीछे मूल भावना यह थी कि उपरोक्त प्रकार की गलतियों पर अंकुा लग सके तथा समरी ट्रायल से उपरोक्त गलतियों को ठीक किया जा सके।

उपरोक्त संशोधन के पश्चात् निम्न प्रकार स्थिति बनती है :–

भू प्रबंध कार्यवाही बंद होने के पश्चात् जो मामले भू प्रबंध अधिकारी के पास अनिर्णीत रह जाते हैं, वे भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) को हस्तान्तरित कर दिये जाते है। ऐसे मामलें भू अभिलेख अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णित किये जायेंगे।

2. *भू प्रबंध के दौरान जो लिपिकीय एवं अन्य गलतियां भू प्रबंध कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई है, उनका निर्धारित रीति द्वारा भू अभिलेख शुद्धिकरण कर सकेगा या करा सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों का भू अभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करे।*
3. *यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रकार की गलतियां नोटिस की जाती हैं, तो उन्हें एस.डी.ओ. को भेजेंगे। पक्षकारों को हैतुक दर्शित करने हेतु नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर गलती के शुद्धिकरण हेतु भू अभिलेख अधिकार आवश्यक कार्यवाही करेगा।*
4. *सभी जिला कलेक्टर भू अभिलेख अधिकारी है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (183) रेव/बी/56 दिनांक 17–9–56 द्वारा ये शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी हुई है। यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है। अतः वर्तमान में सभी उपखण्ड अधिकारियों के पास भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां है। उपखण्ड अधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी उपरोक्त प्रकार की गलतियों के शुद्धिकरण के लिए सक्षम नहीं है।*
5. *भू प्रबंध के दौरान यदि बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के किसी की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी की कृषि भूमि को चारागाह/सिवाय चक/राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया है तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।*
6. *यदि किसी सिवायचक या राजकीय भूमि को किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी में बिना किसी सखम आदेश के दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की संशोधित धारा 136 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।*
7. *भू प्रबंध कार्यवाही बंद होने के बाद भू अभिलेख संधारण का दायित्व भू अभिलेख अधिकारी का है और इस दौरान भी यदि उपरोक्त प्रकार की गलतियां होती है तो मद*

संख्या (3) के अनुसार उनके शुद्धिकरण के अधिकार भी भू अभिलेख अधिकारी को होंगे।

8. *किसी भी प्रकार की गलती के सुधार के पहले प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिया जाना तथा सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक होगा। जहां आवश्यक ही लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) को भी राज्य हित की सुरक्षा के लिए पक्षकार बनाना होगा।*
9. *भू प्रबंध के दौरान हुई गलतियों का सुधार उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करते हुए किया जा सकेगा लेकिन धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा।*
10. *धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकेंगे बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो अधिकार निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी, उनके अनुसार ही गलतियों को संशोधित कर सही कर सकेगा।*

उपरोक्त प्रकार की गलतियां या तो अधिकारी के स्वयं ध्यान में आ सकती है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी द्वारा ध्यान में लाई जा सकती है अथवा पक्षकारों द्वारा लाई जा सकती है। कृपया राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं को निर्धारित प्रक्रिया पर विचार विमर्श करे और यह स्पष्ट कर दें।

समरी ट्रायल से गलतियों का सुधार करना नियमित वाद का विकल्प नहीं है, समय की व्यवस्था गलतियों के सुधार के लिए की गई है, जहां परस्पर खातेदारी का बिना वहां उन्हें सक्षम न्यायालयों से ही निर्णित कराना होगा।

प्रमुख सचिव"

13— उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजाता को बदलने का आदेश ना हो। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भू प्रबंध के दौरान

बदले गये हो तो उनकी दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत की जायेगी। इन अंकनों के दुरूस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना भी आवश्यक नहीं हेागा।

14— अपीलार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि भू प्रबंध विभाग को नये इन्द्राज करने, पुराने इन्द्राज को विलोपित करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है एवं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर, जिसके कि अधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहित है, भू प्रबंध कार्यवाही पूर्ण हो जाने एवं रिकार्ड प्राप्त हो जाने के बाद धारा 136 में कार्यवाही करने को सक्षम है, ऐसे संशोधन के आदेश पारित कर सकता है एवं इसके समर्थन में 1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8, 2003 आर.बी.जे. पृष्ठ 118, 2002 आर.बी.जे. पृष्ठ 332, 2009 आर.आर.टी. पृष्ठ 954, 2012 आर.आर.टी. पृष्ठ 814 व 1997 आर.आर.डी. पृष्ठ 504 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। इन दृष्टांतों को भी उद्धरत किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है :—

(ए) **1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8 : ख्याली व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (उच्च न्यायालय)**

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136- Wrong entry made during settlement opreation can be corrected by Land Record Officer.

(बी) **2003 आर.बी.जे. पृष्ठ 118 : रूपनारायण बनाम कजोड़मल**

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136- Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries - In this case during the setlement opreations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khtedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. **Revision accepted.**

(सी) **2002 आर.बी.जे. पृष्ठ 332 : गिरीराज बनाम भगवत**

SETTLEMENT ENTRIES - Settlement Authorities requried to repeat existing entries. The Settlement Authorities are requried to repeat entries in existing Jamabandies and could not alter entries without order of competent court. In this case

ancestral land was entered in the name of three brothers by the Settlement Officer at the time of settlement. The first appellate court was not justified in setting aside the justified in the setting aside the entries made by Settlement Officer without any basis. Revision accepted.

(डी) 2009 (2) आर.बी.जे. पृष्ठ 954 : मुस्ताक अहमद एवं अन्य बनाम पीरू व अन्य

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136 Application for correction of entries-Notice issued to respondent 'P' but did not appear & as per jamabandi of Svt. 2034-37, Collector ordered to enter the land as Siwai Chak in Khata No. 1.L.R.O. is empowered to correct the entries-Settlement authorities have no power to change the original entries-Concurrent findings are just & legal- Held, orders upheld.

(ई) 2010 (2) आर.आर.टी. पृष्ठ 814 : अचल पुरी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 84 & 136- Board ordered to enter the land in the name of gram Panchyat-Khatedar K,M & Mulpuri & Jethi sold their 3/4 share to 'S & T' & they transfered the land by Regd. gift deed infavour of the Muncipal Board-In advertantly 1/4 share entered in the name of 'S & T' only-Error can be rectified by the land record officer u/sec. 136 by giving opportunity of hearing to opposite party-Even otherwise the Board has not committed any error in excrcising the powers u/sec. 9 - Held, Petition is devoid of merits & liable to be dismissed.

(एफ) 1997 आर.आर.डी. पृष्ठ 504 : पूसाराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य

(A) Raj. Land Revenue Act, Sections 125 & 136 - Land Records Officer is competent under sections 136 and 125 of the Act after the settlement operations are over, to correct the error crept in record of rights during settlement operations.

(B) Interpretation of Statutes - When the Legislature makes certain provisions in a Act, the presumption is that it is for some purpose and every part of the statute has its effect

because the Legislature never waste its words or say anything in vain-A construction which attributes redundancy to the legislature can not be accepted except for compelling reasons.

PETITION ALLOWED - Case remanded to R.A.A.

15— हस्तगत प्रकरण में भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व अपीलार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज था, जिसे बिना सक्षम आदेश के भू प्रबंध विभाग ने विलोपित कर दिया। नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 07—10—2010 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलार्थीगण का है। अपीलार्थीगण आवंटी मृत्तक कमजी के विधिक वारिसान है, जो नायब तहसीलदार, गिर्वा एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा कमजी की मृत्यु के प्रमाण पत्र एवं राशनकार्ड की फोटो प्रति से प्रमाणित है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20—12—1995 एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए विद्वान् उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—2—2011 व विद्वान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का आदेश दिनांक 09—9—2011 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से अपास्तनीय है, जिसे खारिज किया जाता है, साथ ही उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का अंकन राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एल. नवल)
सदस्य